न्यायालय, राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड़, देहरादून।

निगरानी संख्या– 114/2014–15 अन्तर्गत धारा–219 भू0रा0अधि0

1. रामकुमार शर्मा, 2. अनिल कुमार शर्मा, 3. सुनील कुमार शर्मा, 4. विनेश कुमार शर्मा, 5. राजेश शर्मा, 6. संतोष कुमार शर्मा, पुत्रगण हेमसागर, निवासी ग्राम रायपुर, देहरादून।

बनाम

1. दीपक आनन्द पुत्र प्रवेश आनन्द, 2. सुप्रीत सिंह पुत्र बुद्धचरण सिंह, निवासी–डांडीपुर मोहल्ला देहरादून, 3. रमन, 4. अमन पुत्रगण स्व0 सत्यप्रकाश , निवासी–रक्षापुरम बिहार, लेन–सी, रायपुर रोड, देहरादून।

उपस्थित : श्री पी0एस0जंगपांगी, सदस्य(न्यायिक)।
अधिवक्ता निगरानीकर्तागण : श्री अरूण सक्सेना।

निर्णय

यह निगरानी निगरानीकर्तागण उपरोक्त ने तहसीलदार, देहरादून द्वारा कार्यवाही संख्या–2198/2015 अन्तर्गत धारा–34 भू0रा0अधि0 दीपक आनन्द बनाम सत्यप्रकाश में पारित आदेश दिनांक 13–02–2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

इस निगरानी के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैः–

उत्तरदाता संख्या–1 व 2 की ओर से दिनांक 27–12–2014 को बावत भूमि खसरा संख्या–1653 मि0 क्षेत्रफल 385 वर्गमीटर स्थित मौजा अजबपुरकलां, पंरगना केन्द्रीयदून, जनपद देहरादून के बावत बजरिए बैनामा नामान्तरण सूचना तहसीलदार, देहरादून के समक्ष प्रस्तुत की गई जिसके साथ शपथ पत्र भी संलग्न किया गया। इस नामान्तरण प्रार्थना पत्र पर क्षेत्रीय लेखपाल ने अपनी आख्या दिनांक 31–01–2015 प्रस्तुत की एवं तत्पश्चात विद्वान तहसीलदार, देहरादून ने प्रकरण को निर्विवाद मानते हुए नामान्तरण आदेश दिनांक 13–02–2015 उत्तरदाता संख्या–1 व 2 के पक्ष में पारित किया। इसी आदेश के विरूद्ध वर्तमान निगरानी निदेशित है।

निगरानी में दिनांक 14–10–2015 को उत्तरदातागण को पंजीकृत डाक से नोटिस भेजे गये लेकिन वे उपस्थित नही हुए। उनके विरूद्ध तद्नुसार दिनांक 18–01–2016 को एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश पारित किये और निगरानीकर्तागण के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई एवं अवर न्यायालय की पत्रावली का सम्यक अवलोकन किया गया।

निगरानीकर्तागण के विद्वान अधिवक्ता का मुख्य तर्क यह है कि वादग्रस्त भूमि के वे सहखातेदार है, कि प्रकरण में कोई इश्तिहार जारी नही हुआ है न ही सहखातेदारों को उसकी प्रति अथवा कोई नोटिस भेजा गया है, कि नामान्तरण प्रार्थना पत्र तथा उसके साथ संलग्न शपथ पत्र में किसी के हस्ताक्षर नही है, कि लेखपाल की आख्या में भी सहखातेदारों की सहमति न होने का उल्लेख किया गया है, कि नामान्तरण की कार्यवाही में जो प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए थी वह नही अपनाई गई है अतः निगरानी स्वीकार कर आक्षेपित आदेश निरस्त किया जाए तथा निगरानीकर्तागण को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर ही नामान्तरण की कार्यवाही गुण दोष पर निस्तारित किये जाने हेतु निर्देश पारित किये जाए।

यद्यपि आक्षेपित आदेश निर्विवादित मान कर पारित किया गया है लेकिन मूल नामान्तरण पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि नामान्तरण की कार्यवाही में राजस्व न्यायालय नियमावली के अध्याय–37 के नियम–373 से नियम–377 में दी गई आज्ञापक प्रक्रिया का पालन नही किया गया है। नामान्तरण की कार्यवाही में उद्घोषणा जारी किया जाना अनिवार्य है जो कि वर्तमान कार्यवाही में नही किया गया है। उद्घोषणा जारी न किये जाने के दृष्टिगत आक्षेपित आदेश विधि की दृष्टि में कोई आदेश नही है तथा मात्र इसी आधार पर अपास्त होने योग्य है।

निगरानीकर्तागण वादग्रस्त भूमि के सहखातेदार है जिसे उद्घोषणा की प्रति भेजी जानी आवश्यक थी जो कि आलोच्य प्रकरण में नही किया गया है। नामान्तरण प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र में भी नामान्तरण प्रार्थीगण के हस्ताक्षर नही है। यहां तक कि बिना हस्ताक्षर एवं दिनांक के शपथ पत्र को शपथ आयुक्त द्वारा सत्यापित किया गया है। लेखपाल की आख्या में यह स्पष्ट उल्लेख है कि " सहखातेदारों की सहमति संलग्न नही है" इसके बावजूद भी सहखातेदारों को नोटिस नही भेजे गये है जबकि राजस्व न्यायालय नियम संग्रह में अध्याय–37 के नियम–377 में स्पष्ट प्राविधानित किया गया है कि " भू–राजस्व अधिनियम की धारा–34 के अधीन प्राप्त रिपोर्ट ऐसे संव्यवहार के सम्बन्ध में हो जिसमें संयुक्त सीरधारक द्वारा संयुक्त सीर जोत में समाविष्ट विशेष गाटों का अन्तरण निहित हो तो उपर्युक्त नियम–376 में अभिविष्ट उद्घोषणा के अतिरिक्त जोत के सभी हिस्सेदारों को नामान्तरण का आवेदन देने वाले पक्षकार के खर्चे से व्यक्तिगत नोटिस दी जानी चाहिए"। वर्तमान नामान्तरण कार्यवाही में भी उक्त नियम का पालन न करते हुए सहखातेदारों को कोई नोटिस नही दिया गया है जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि नामान्तरण की कार्यवाही बड़ी लापरवाही से सम्पादित की गई है एवं आक्षेपित आदेश विधिक दृष्टि से कोई आदेश नही है। अतः ऐसी स्थिति में निगरानी स्वीकारणीय है एवं निगरानीकर्तागण को सुनवाई एवं साक्ष्य का समुचित अवसर प्रदान कर नामान्तरण की कार्यवाही नये सिरे से सम्पादित किया जाना आवश्यक है।

आदेश

निगरानी स्वीकार कर आक्षेपित आदेश दिनांक 13–02–2015 अपास्त कर नामान्तरण प्रकरण तहसीलदार, देहरादून को इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि निगरानीकर्तागण को सुनवाई एवं साक्ष्य का समुचित अवसर प्रदान कर नामान्तरण की कार्यवाही को गुण दोष के आधार पर विधिवत यथाशीघ्र निस्तारित करे। पक्षकार दिनांक 23–01–2017 को अवर न्यायालय में उपस्थित हो। अवर न्यायालय की पत्रावली वापस तथा इस न्यायालय की पत्रावली संचित हो।

(पी0एस0जंगपांगी)
सदस्य(न्यायिक)

आज दिनांक 20–12–2016 को खुले न्यायालय में उद्घोषित, हस्ताक्षरित एवं दिनांकित।

(पी0एस0जंगपांगी)
सदस्य(न्यायिक)